VOLUME-8, ISSUE-1, JANUARY-2019 • PRINT ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper Paediatrics

समावेशी शिक्षा को बाधित करने वाले कारकों के निवारण में शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन

राधा रानी सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विभाग आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

ABSTRACT

21वीं शताब्दी में भारत में दिव्यांग जनों की शिक्षा में विकास हेतु सरकार द्वारा कई नीतियों का निर्माण किया गया है जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, मॉडल स्कूल स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत/प्रौढ़ शिक्षा, समेकित शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार आदि सरकारी नीतियों का निर्माण कर प्राथमिक शिक्षा का नये लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया जिससे भारत में ''सभी पढ़े–सभी बढ़े'' का नारा सच हो सकें। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समावेशन में बाधक आधारभूत कारणों को दूर करने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को शत्–प्रतिशत तो नहीं लेकिन एक प्रयास तो जरूर किया जा सकता है जिससे हमारे देश में दिव्यांग जनों आत्म–निर्भरता के साथ–साथ आत्म–विश्वास की भावना जागृति हो सकें। शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि होती है। अतः शिक्षकों को विद्यालय सही समय पर पहुँचना एवं दिव्यांगजन के अनुकूल वातावरण को तैयार करना, शिक्षण कार्यों की पूर्ण जानकारी, कक्षा में अनुशासन, गृह कार्यों का नियमित जाँच, कक्षा–कक्ष में आचार संहिता का निर्धारण एवं संचालन, दिव्यांग विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, अपने संवेगात्मक विकास में वृद्धि के साथ–साथ नैतिक मूल्यों में विकास करना जिससे सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों में भेदभाव न करना, पाठ्य–सहग्रामी क्रियाओं के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को पूरा मौका देना उनके मनोबल का बढ़ाना विद्यालय में होने वाले राजनैतिक बातों को शिक्षण से दूर रखना तथा विद्यालय में सामंजस्य एवं उच्च वातावरण को बनाये रखना चाहिए जिससे सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सकें एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को एक कुशल नागरिक बनाया जा सकें।

KEYWORDS : समावेशी शिक्षा, शिक्षक, कारक, निवारण

प्रस्तावना

मानव के चतुर्मुखी व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करती है। जन्म के समय मानव असहाय प्राणी होता है एवं वह पाशविक मनोवृत्तियों के वशीभूत होता है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा मानव की पाशविक प्रवृत्तियाँ परिवर्तित एवं समायोजित होती हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिककाल तक यह कार्य शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही सम्पन्न हो रहा है। एनी बेसेण्ट, शिक्षा को 'एक विज्ञान' का रूप देती हैं। शिक्षा को वे एक अनुशासन मानती हैं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का यह केवल एक व्यवस्थित ढंग ही नहीं है अपितु यह ऐसा विज्ञान भी है जिससे बालकों की जन्मजात शक्तियाँ प्रस्फुटित एवं पल्लवित होंगी।

समावेशी शिक्षा का आरम्भ 19वीं शताब्दी में हुआ किन्तु इस विचार को समाज में पहले स्वीकार नहीं किया गया। 1974 में समेकित बाल विकास योजना, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी। 1995 में विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) कानून (च्ॅक ।बज), 1999 में राष्ट्रीय न्यास (आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा बहु–निःसक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु), सन् 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, एवं 2009 में प्राथमिक शिक्षा हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया।

21वीं शताब्दी में भारत में दिव्यांग जनों की शिक्षा में विकास हेतु सरकार द्वारा कई नीतियों का निर्माण किया गया है जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, मॉडल स्कूल स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत/प्रौढ़ शिक्षा, समेकित शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार आदि सरकारी नीतियों का निर्माण कर प्राथमिक शिक्षा का नये लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया जिससे भारत में ''सभी पढ़े–सभी बढ़े'' का नारा सच हो सकें।

भारत के संविधान की धारा 45 में यह उल्लेख है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसा विद्यालय जिसमे सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चे भी अध्ययन कर रहे है उन्हें समावेशी विद्यालय कि श्रेणी में रखा जाता है। भाषा में विशेष विद्यालय कि कमी को पूरा करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देते से उनको घर के पास अपनी सुविधा में विद्यालय उपलब्ध होता है।

समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अर्न्तक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है उन बच्चों के अन्दर छुपी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने के लिए यह शिक्षा का अभिनव प्रयास है जिससे वह खुद को समाज से अलग नहीं समझे।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य–

- बच्चों की समर्थताओं का पता लगाना एवं उसको दूर करने का प्रयास के साथ–साथ शिक्षा के द्वारा उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना।
- समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रान्तियों को दूर कर उनमें जागरूकता की भावना का विकास करना।
- प्रजातांत्रिक मूल्य जिनमें न्याय, समानता एवं भ्रातृत्व उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- दिव्यांग जनों में आत्म–निर्भरता की भावना जाग्रति कर उन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना के साथ उन्हें व्यावसायिक से जोड़ना।
- दिव्यांग जनों के लिए पुर्नवास का प्रबन्ध करना।
- दिव्यांग जनों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना।

समावेशी शिक्षा को बाधित करने वाले कारक

1. बहुपरती शिक्षा प्रणाली – हमारे देश में विभिन्न स्तर एवं श्रेणियों के विद्यालय मौजूद हैं जिससे इनमें उपलब्ध शिक्षा अनुभवों में भारी फर्क है जिससे समाज में असमानताओं को कम करने में कोई मदद नहीं मिलती है। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली द्वारा सृजित असमानता हाशिये पर स्थित बच्चे के बहिष्करण का कारक बनती है। हमारी शिक्षा प्रक्रिया समावेशन के बजाय बहिष्करण के को बढ़ावा देती है, भेदभावपूर्ण एवं असमानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली हासिये पर स्थित बच्चों के समावेशन मे कोई मदद नहीं करती है। मुख्यतः दो समूह इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं।

- आर्थिक–सामाजिक–लैंगिक आधार से वंचित बच्चे। और दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से वंचित बच्चे।
- समावेशी समाज का निर्माण समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलने पर लोकतांत्रिक में सक्रिय भागीदारी के अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
- सचेत एवं सहभागी दृष्टिकोण विकसित कर समावेशन किया जा सकता है।

2. दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली – हमारी शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को भयादोहन के एक सशक्त औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में असफलता के लिए अधिगमकर्ता को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है, शिक्षा प्रणाली–तंत्र की कोई जवाबदेही तय नहीं है। बच्चे के लिए शिक्षा का मतलब परीक्षा पास करना होता है और शिक्षक का उद्देश्य परीक्षा पास करने के लिए मशीनीकृत ढंग से बच्चे को इसके लिए तैयार करना। इतना ही नहीं दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली बच्चे के समुचित समावेशन में बाधाएँ खड़ी करती हैं, जैसे–

दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली बच्चे को कुछ विषय विशेष में असफल घोषित करके उनके आत्म–विश्वास को कम करती है जिससे शिक्षा में समावेशन में बाधा पहुँचाती है। जिससे बड़ी संख्या में बच्चे असफल होकर शिक्षा तंत्र से बाहर हो जाते हैं।

सीखने–सिखाने के तौर तरीके, शिक्षण–अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों एवं विद्यालय के माहौल भी समावेशी शिक्षा की सुचारू रूप से न चलने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

मूल्यांकन प्रणाली में सदैव यह जानने पर जोर दिया जाता है कि उन्हें पाठ्यक्रम से क्या आता है/क्या नहीं आता है? उनके परम्परागत हुनर, कौशल एवं समझ की उपेक्षा की जाती है।

3. विद्यालय तक पहुँच – 1 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किमी0 की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान ने काफी हद तक प्राप्त कर लेने के दावे किए गए हैं। इसके बावजूद हम अभी भी यह दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे के शिक्षा प्रणाली में समावेशन की चाक चौबन्द व्यवस्थाएँ हमने कर ली हैं। बच्चे की पहुँच में विद्यालय होने के बावजूद अनेकों ऐसे व्यवस्थागत, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण मौजूद हो सकते हैं जो बच्चे के विद्यालय में पहुँचने में बाधक होते हैं। विशेष जरूरतों वाले बच्चे, बालिकाएँ, अपवंचित वर्गों के बच्चों के सन्दर्भ में यह गम्भीर रूप से विचारणीय विषय है। अभी भी दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँचने के जोखिम कम नहीं हो पाए हैं।

4. विद्यालयी पाठ्यचर्या – विद्यालयी पाठ्यचर्या के नियोजन एवं क्रियान्वयन में परम्परागत स्वरूप अधिभावी है। एन0सी0एफ0 2005 के आलोक में पाठ्यचर्या निर्धारण की बातें की जाती हैं परन्तु अभी भी खामियाँ हैं। कुछ गम्भीर खामियों का उल्लेख करना अनुचित न होगा, जैसे–

विद्यालयी विषयों की विषय वस्तु बच्चे के अपने परिवेश एवं वातावरण से सम्बन्धित नहीं होती है। बच्चा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ नहीं पाता है, सूचनाओं के संग्रहण एवं रटन्त प्रणाली का संवाहक बनकर रह जाता हैं।

विद्यालयी पाठ्यचर्या विद्यालय अनुभवों एवं जीवन के बीच ठोस रिश्ता स्थापित करने में असमर्थ रही है। विद्यालयी अनुभवों एवं जीवन के बीच अन्तराल बढ़ने पर बच्चे के बहिष्करण का खतरा बढ़ जाता है।

पाठ्यवस्तु, चित्र, उदाहरण अधिकतर शहरी मध्यम वर्ग को प्रतिबिम्बित करते हैं। यह आम गैर शहरी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इतना ही नहीं यह बच्चे की आत्मछविअस्मिता को भी प्रभावित करता है, अपनी संस्कृति के प्रति हीनता बोध पैदा करता है।

5. बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षक का नजरिया – बच्चे के समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति बच्चे के नजरिए के प्रति जब शिक्षक संवेदनशील नहीं हैं, बच्चे के नजरिए का सम्मान नहीं करता है, किसी विशेष समूह के प्रति हेय दृष्टिकोण रखता है तो बच्चे का अपने समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति नजरिया बदल जाता है और बहुधा वह हेय समझने लगता है, स्वयं को हीन–दीन समझने लगता है। इसकी परिणति पलायन के रूप में होती है। यदि विद्यालय का वातावरण बच्चे के लिए असहज, असुरक्षित, अपमानित करने वाला, हीनता भाव पैदा करने वाला है तो बच्चे के शिक्षा से बहिष्करण के खतरे बढ़ जाते हैं। यह भी एक कटु सत्य है कि वंचित वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसा देखने में आता है। अतः स्वयं को विद्यालय में मिसफिट मानकर ये बच्चे बहिष्करण की प्रक्रिया अपना लेते हैं।

समावेशी शिक्षा को बाधित करने वाले कारकों के निवारण में शिक्षकों की भूमिका
समावेशी शिक्षा में बनने वाले बाधकों को शिक्षक के निम्न गुणों द्वारा इनका निवारण किया जा सकता है–

- शिक्षकों को विद्यालय सही समय पर पहुँचना एवं दिव्यांगजन के अनुकूल वातावरण को तैयार करना चाहिए।
- सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ दिव्यांगजनों की शिक्षा में रूचि के साथ–साथ उनके शिक्षण कार्यों की पूर्ण जानकारी रखं।
- कक्षा में अनुशासन के साथ–साथ गृह कार्यों को भी रोजाना देना एवं उनके नियमित जाँच करना।
- कक्षा–कक्ष में आचार संहिता का निर्धारण के साथ–साथ उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ संचालित करना।
- सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ दिव्यांग विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना तथा उनके अभिभावक के साथ शिक्षक–अभिभावक बैठक में दिव्यांग जनों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं के बारें में वार्तालाप तथा निवारण करना।
- छात्रों में नेतृत्व गुणों के विकास के साथ–साथ उन्हें कठिन परिश्रम एवं निरन्तर अभ्यास हेतु अभिप्रेरित करना।
- शिक्षकों को मूल्यांकन में निष्पक्षता के साथ–साथ अपना मूल्यांकन कर अपने विषय में ज्ञान व योगदान को बढ़ोत्तरी करना।
- अपने संवेगात्मक विकास में वृद्धि के साथ–साथ नैतिक मूल्यों में विकास करना जिससे सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों में भेदभाव न कर सकें।
- पाठ्य–सहग्रामी क्रियाओं के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को पूरा मौका देना एवं उनके मनोबल का बढ़ाना चाहिए।
- विद्यालय में होने वाले राजनैतिक बातों को शिक्षण से दूर रखना तथा विद्यालय में सामंजस्य एवं उच्च वातावरण को बनाये रखना चाहिए जिससे सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सकें एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को एक कुशल नागरिक बनाया जा सकें।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समावेशन में बाधक आधारभूत कारणों को दूर करने में शिक्षक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को शत्–प्रतिशत तो नहीं लेकिन एक प्रयास तो जरूर किया जा सकता है जिससे हमारे देश में दिव्यांग जनों आत्म–निर्भरता के साथ–साथ आत्म–विश्वास की भावना जागृति हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कल्पना गोयल एवं राखी भार्गव, ''विशिष्ट बालक (उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास), एच.पी. प्रकाशन, आगरा।
2. भारतीय आधुनिक शिक्षा, अंक 1, वर्ष 32, 4(2), एन.सी.एफ., 2005
3. नवनीत सक्सेना एवं संजीव कुमार, ''समावेशी शिक्षा हेतु अध्यापक तैयार करना'', इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड एप्लाइड रिसर्च, 6(1), जनवरी–जून 2016, पृ0 123–124
4. गीता दहिया, ''विशिष्ट बालक एवं समावेशी शिक्षा'', इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्पिलनरी रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट, 2(3), सितम्बर 2017, पृ0 586–587
5. अग्रवाल, पूनम (2016). समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड एप्लाइड रिसर्च, 61(1).1, जून 2016, पृ0 127–128
6. श्रीवास्तव, रश्मि (2015). शैक्षिक समावेशन के संदर्भ में मातृभाषा– आधारित बहुभाषी शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष–36, अंक–1, पृ0 79–88
7. कुमारी, शारदा (2015). अध्यापकों की भाषायी निष्ठुरता और समावेशी शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष–36, अंक–1, पृ0 79–88